राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प.1(464)एमई / ग्रुप–1 / 2017 जयपुर, दिनांक 15 SEP 2022

आदेश

डॉ0 मैना रैगर (मेरिट क्रमांक–42, जन्म तिथि–20.01.1988, वर्ग–अजा, महिला) को आदेश क्रमांक प.1(95)डीएमई / 2016 दिनांक 15.02.2017 के द्वारा वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर मेडिकल कॉलेज, अजमेर में एक वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। नियुक्ति आदेश के अनुसार डॉ0 रैगर को आदेश जारी तिथि से चार सप्ताह की समयावधि में कार्यग्रहण करना था।

डॉ0 रैगर द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नही किया जाकर कार्यग्रहण काल में 06 महीने की अभिवृद्धि किये जाने का निवेदन किया गया। डॉ0 सैनी के निवेदन पर इनके कार्यभार ग्रहण काल में दिनांक 14.08.2017 तक की अभिवृद्धि की गयी। डॉ0 रैगर द्वारा उक्त समयावधि में भी कार्यग्रहण नही किया गया। जिसके बाद दिनांक 24.08.2017 नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया गया। फलस्वरूप डॉ0 रैगर द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस. बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 13929 / 2017 दायर की गई। रिट याचिका में पारित निर्णय दिनांक 18.01.2021 के विरूद्ध डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 1015 / 2021 राज्य सरकार बनाम डॉ. मैना रैगर दायर की गयी। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.02.2022 को निम्न आदेश पारित किया गया–

"Having heared learned Government counsel in the facts of the present case we are not inclined to interfere. This is so because as noted after initial extension of joining time by the Government for six months in the writ petition the single judge had protected the petitioners by issuing order of status quo. this continued till the petitioners were disposed of. At this late stage, it would serve no purposein reversing the order of the learned single judge."

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा बी. स्पेशल अपील संख्या 1015 / 2021 में पारित निर्णय दिनांक 18.01.202021 की पालना में डॉ0 रैगर को इस विभाग के आदेश क्रमांक प 1(95)डीएमई / 2016 दिनांक 15.02.2017 के द्वारा वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर दी गई नियुक्ति के क्रम में पदस्थापित स्थान मेडिकल कॉलेज, अजमेर में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है। डॉ रैगर को यह आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस में पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(इकबाल खान)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को इस विभाग के आदेश क्रमांक प 1(95)डीएमई / 2016 दिनांक 15.02.2017 के संदर्भ में।
4. आयुक्त, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राज., जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर।
6. सहायक विधि परामर्शी, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राज., जयपुर।
7. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. डॉ0 मैना रैगर पुत्री श्री बाबूलाल रैगर, प्लॉट नम्बर–1, रैगर बस्ती, मानसिंहपुरा, टोंक रोड, जयपुर–302018 (रजिस्टर्ड पत्र)।
9. रक्षित पत्रावली।

13/9/22

(अशोक कुमार सोनी)
शासन उप सचिव